रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 630] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2009/कार्तिक 13, 1931
No. 630] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2009/KARTIKA 13, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 794(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) छठा संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के, अनुसूची-I में क्रम संख्या 38 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र.सं.	उद्योग	पेरामीटर	मानक	
1	2	3	4	
"39	होटल उद्योग		बहिस्राव मानक	
		(i) कम से कम 20 शयन कक्षों के होटल और रेस्टोरेंट		
			सान्द्रता की सीमा मि. ग्रा./लीटर में, पी.एच. को छोड़कर	
			अंत:स्थलीय सतही जल	भूमि पर सिंचाई के लिए
		पी. एच.	5.5-9.0	5.5-9.0
		बी. ओ. डी. (3 दिन, 27° सेन्टीग्रेड)	30	100
		कुल निलम्बित कण	50	100
		तेल और ग्रीस	10	10
		फास्फेट	1.0	–
		(ii) 20 शयन कक्षों से कम वाला होटल, 100 वर्गमीटर के न्यूनतम भूमि क्षेत्र का एक प्रतिभोज हाल या 36 बैठक का एक उपाहार गृह		
		पी. एच.	5.5-9.0	5.5-9.0
		बी. ओ. डी. (3 दिन, 27° सेन्टीग्रेड)	100	100
		कुल निलम्बित कण	100	100
		तेल और ग्रीस	10	10

टिप्पणी : (क) समुद्र के तटीय क्षेत्र में स्थित होटलों, प्रतिभोज हॉलों, उपाहार गृह इत्यादि को तटीय नियंत्रण क्षेत्र के लिए लागू प्रावधानों का भी पालन करना होगा ।

1	2	3	4
		(ख) यदि बहिस्राव, मल-जल शोधन संयंत्र को जाने वाले नगरीय सीवर में विसर्जित किया जाता है तो, यथा स्थिति होटल या उपाहार गृह या प्रतिभोज हॉल को उपर्युक्त वर्णित बहिस्राव मानकों के स्थान पर अनुसूची-VI के अधीन अधिसूचित 'बहिस्राव निपटान पर्यावरणीय प्रदूषण कारकों के विसर्जन के लिए साधारण मानक भाग क: बहिस्राव' के अनुपालन के अलावा अपनी रसोई और लॉन्ड्री से उत्पन्न बहिस्राव के लिए समुचित तेल और ग्रीस ट्रेप की व्यवस्था करनी होगी ।" ।	

[फा. सं. क्यू-15017/45/2008-सी.पी.डब्ल्यू.]
रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :

मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में का.आ.सं. 844 (अ) तारीख 19 नवम्बर, 1986 में प्रकाशित किये गये थे और इसके पश्चातवर्ती संशोधन का.आ.सं. 433 (अ) तारीख 18 अप्रैल 1987, का.आ.सं. 64 (अ) तारीख 18 जनवरी 1988, का.आ.सं. 03 (अ) तारीख 3 जनवरी 1989, का.आ.सं. 190 (अ) तारीख 15 मार्च 1989, सा.का.नि. 913 (अ) दिनांक 24 अक्टूबर 1989, का.आ.सं. 12 (अ) तारीख 8 जनवरी 1990, सा.का.नि. 742 (अ) तारीख 30 अगस्त 1990, सा.का.नि. 23 (अ) तारीख 16 जनवरी 1991, सा.का.नि. 93 (अ) तारीख 21 फरवरी 1991, सा.का.नि. 95 (अ) तारीख 12 फरवरी 1992, सा.का.नि. 329 (अ) तारीख 13 मार्च, 1992, सा.का.नि. (अ) तारीख 5 मई, 1992, सा.का.नि. 797 (अ) तारीख 1 अक्टूबर 1992, सा.का.नि. 386 (अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 422 (अ) तारीख 19 मई 1993, सा.का.नि. 801 (अ) तारीख 31 दिसम्बर 1993, सा.का.नि. 176 (अ) तारीख 3 अप्रैल 1996, सा.का.नि. 631 (अ) तारीख 31 अक्टूबर 1997, सा.का.नि. 504 (अ) तारीख 20 अगस्त 1998, सा.का.नि. 7 (अ) तारीख 2 जनवरी 1999, सा.का.नि. 682 (अ) तारीख 6 अक्टूबर 1999, सा.का.नि. 742 (अ) तारीख 25 सितम्बर 2000, सा.का.नि. 72 (अ) तारीख 6 फरवरी 2001, सा.का.नि. 54 (अ) तारीख 22 जनवरी 2002, सा.का.नि. 371 (अ) तारीख 17 मई 2002, सा.का.नि. 489 (अ) तारीख 9 जुलाई, 2002, सा.का.नि. 1088 (अ) तारीख 11 अक्टूबर 2002 और सा.का.नि. 849 (अ) तारीख 30 दिसम्बर 2002, सा.का.नि. 520 (अ) तारीख 1 जुलाई 2003, सा.का.नि. 92 (अ) तारीख 29 जनवरी 2004, सा.का.नि. 448 (अ) तारीख 12 जुलाई 2004, शुद्धिपत्र सा.का.नि. 520 (अ) तारीख 12 अगस्त 2004, सा.का.नि. 272 (अ) तारीख 5 मई, 2005, सा.का.नि. 315 (अ) तारीख 16 मई 2005, सा.का.नि. 546 (अ) तारीख 30 अगस्त 2005, सा.का.नि. 46 (अ) तारीख 3 फरवरी 2006, सा.का.नि. 464 (अ) तारीख 7 अगस्त 2006, सा.का.नि. 640 (अ) तारीख 16 अक्टूबर 2006, सा.का.नि. 566 (अ) तारीख 29 अगस्त 2007, सा.का.नि. 704 (अ) तारीख 12 नवम्बर 2007, सा.का.नि. 186 (अ) तारीख 18 मार्च 2008, सा.का.नि. 280 (अ) तारीख 11 अप्रैल 2008, सा.का.नि. 344 (अ) तारीख 7 मई 2008, सा.का.नि. 414 (अ) तारीख 30 मई 2008, सा.का.नि. 481 (अ) तारीख 26 जून 2008, सा.का.नि. 579 (अ) तारीख 6 अगस्त 2008, सा.का.नि. 600 (अ) तारीख 18 अगस्त 2008, सा.का.नि. 752 (अ) तारीख 24 अक्टूबर 2008, सा.का.नि. 97 (अ) तारीख 18 फरवरी 2009, सा.का.नि. 149 (अ) तारीख 4 मार्च, 2009, सा.का.नि. 512 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2009, सा.का.नि. 543 (अ), तारीख 22 जुलाई, 2009 और सा.का.नि. 595 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2009 द्वारा किये गये हैं ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2009

G.S.R. 794(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) sixth Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in schedule –I, after serial number 38 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Sr. No.	Industry	Parameter	Standards	
1	2	3	4	
"39	Hotel Industry	Effluent Standards		
		(i)Hotel with atleast 20 bedrooms		
			limiting concentration in mg/l, except for pH	
			Inland Surface Water	On land for Irrigation
		pH	5.5-9.0	5.5-9.0
		$BOD_{3\ days,\ 27^0C}$	30	100
		Total Suspended Solids	50	100
		Oil & Grease	10	10
		Phosphate as P	1.0	-
		(ii)Hotel with less than 20 bedrooms or a Banquet Hall with minimum floor area of 100 m^2 or a Restaurant with minimum seating capacity of 36		
		pH	5.5-9.0	5.5-9.0
		$BOD_{3\ days,\ 27^0C}$	100	100
		Total Suspended Solids	100	100
		Oil & Grease	10	10
		Notes: i. Hotels, banquet halls, restaurants, etc. located in coastal area shall also comply with the provisions of the Coastal Regulation Zone, as applicable.		

1	2	3	4
		ii. If, the effluent is discharged into a municipal sewer leading to a Sewage Treatment Plant, the hotel or restaurant or banquet hall, as the case may be, shall provide a proper Oil and Grease Trap for effluent arising from its kitchen and laundry and shall have to comply with the 'General Standards for Discharge of Environmental Pollutants Part-A: Effluents' notified under Schedule-VI.".	

[F.No. Q-15017/45/2008-CPW]
RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433 (E), dated the 18th April, 1987; S.O. 64 (E), dated the 18th January, 1988; S.O. 03 (E), dated the 3rd January, 1989; S.O. 190 (E), dated the 15th March, 1989; G.S.R. 913 (E), dated the 24th October, 1989; S.O. 12 (E), dated the 8th January, 1990; G.S.R. 742 (E), dated the 30th August, 1990; S.O. 23 (E) ,dated the 16th January, 1991; G.S.R. 93 (E), dated the 21st February, 1991; G.S.R. 95 (E), dated the 12th February, 1992; G.S.R. 329 (E), dated the 13th March, 1992; G.S.R. 475 (E), dated the 5th May, 1992; G.S.R. 797 (E), dated the 1st October, 1992; G.S.R. 386 (E), dated the 28th April, 1993; G.S.R. 422 (E), dated the 19TH May, 1993; G.S.R. 801 (E), dated the 31st December, 1993; G.S.R. 176 (E), dated the 3rd April, 1996; G.S.R. 631 (E) ,dated the 31st October, 1997; G.S.R. 504 (E), dated the 20th August, 1998; G.S.R. 7 (E), dated the 2nd January, 1999; G.S.R. 682 (E), dated the 6th October, 1999; G.S.R. 742 (E), dated the 25th September, 2000; G.S.R. 72 (E), dated the 6th February, 2001; G.S.R. 54 (E), dated the 22nd January, 2002; G.S.R. 371 (E), dated the 17th May, 2002; G.S.R. 489 (E), dated the 9th July, 2002; S.O. 1088 (E) , dated the 11th October, 2002; G.S.R. 849 (E), dated the 30th December, 2002; G.S.R. 520 (E), dated the 1st July, 2003; G.S.R. 92 (E), dated the 29th January, 2004; G.S.R. 448 (E), dated the 12th July, 2004; Corrigenda G.S.R. 520 (E), dated the 12th August ,2004; G.S.R. 272 (E), dated the 5th May, 2005; G.S.R. 315 (E), dated the 16th May, 2005; G.S.R. 546 (E), dated the 30th August, 2005; G.S.R. 46 (E), dated the3rd February, 2006; G.S.R. 464 (E), dated the 7th August, 2006; G.S.R. 640 (E), dated the 16th October, 2006; G.S.R. 566 (E), dated the 29th August, 2007; G.S.R. 704 (E), dated the 12th November, 2007; G.S.R. 186 (E), dated the 18th March, 2008; G.S.R. 280 (E), dated the 11th April 2008; G.S.R. 344 (E), dated the 7th May, 2008; G.S.R. 414 (E), dated the 30th May, 2008; G.S.R. 481 (E), dated the 26th June, 2008; G.S.R. 579 (E), dated the 6th August, 2008; G.S.R. 600 (E), dated the 18th August, 2008; G.S.R. 752 (E), dated the 24th October 2008; G.S.R. 97 (E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149 (E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 512 (E), dated the 9th July, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22nd July, 2009;and G.S.R 595(E), dated the 21st August, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.